न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार, (स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः— दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
22 / 2020	13.08.2020	11.07.2024

1. हरिमोहन पुत्र काना जाति जाट निवासी बहरावण्डा कलां तहसील खण्डार जिला स0मा0

—-प्रार्थी

बनाम

1. कैलाश पुत्र रामनाथ जाति जाट निवासी बहरावण्डा कलां तहसील खण्डार जिला स0मा0
2. कैलाश पुत्र काना जाति जाट निवासी बहरावण्डा कलां तहसील खण्डार जिला स0मा0
3. तहसीलदार तहसील खण्डार।

—-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—श्री रमेश चन्द तेहरिया एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

1. प्रार्थी हरिमोहन पुत्र काना जाति जाट निवासी बहरावण्डा कलां तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राज0टी0एक्ट 1955 का पेश किया है जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार से हैः—
   - प्रार्थी ग्रम बहरावण्डा कलां तहसील खण्डार का निवासी है। ग्राम बहरावण्डा कलां में बालेर रोड़ पर एक तरफ जीएसएस बना हुआ है। दूसरी तरफ कैलाश पुत्र रामनाथ का मकान है। दोनों मकानो के बीच में 12 फीट का आम रास्ता है। कैलाश के मकान व खेत बने हुए है। फिर आगे चलने पर कैलाश पुत्र काना का खेत है। उसके बाद हरिमोहन पुत्र काना प्रार्थी का खेत व मकान है।
   - प्रार्थी को अपने खेत और मकान से आम रास्ते बहरावण्डा कलां वाले रोड पर जाने के लिए 12 फीट का रास्ता बना हुआ है। लेकिन कैलाश पुत्र रामनाथ, कैलाश पुत्र काना इस रास्ते में जोत लगा देते है। रास्ता बंद कर देते है। अतिक्रमण कर रास्ता जुतवा दिया है। जिससे प्रार्थी को आने—जाने में भारी परेशानी हेा रही है। इस रास्ते पर प्रार्थी व उसके परिवार के लोग लगभग 15—20 वर्ष से आ जा रहे है। कभी भी कोई परेशानी नहीं आई लेकिन वर्तमान में इन लोगों ने रास्ता जोत लगाकर बंद कर दिया है। जिससे प्रार्थी को भारी परेशानी हो रही है।
   - यह कि प्राथ्री ने उसकी शिकायत तहसीलदार जी खण्डार व थानाधिकारी थाना बहरावण्डा कलां मे कर दी। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने पर ना ही रास्ता खुलासा करवाये जाने पर प्रार्थी श्रीमान की शरण में आ[illegible]
   - यह कि उक्त रास्ता खुलासा नहीं [illegible] के पास इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी [illegible] आना जाना बंद होने से भारी असुविधा हेा रही है। उक्त रास्ते का खुलासा कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अन्यथा प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी।
   - यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में निश्चित कोर्ट फीस पर पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.08.12 14:39:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

- अतः श्रीमानजी की सेवा में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तुरन्त कार्यवाही कर कैलाश पुत्र रामनाथ जाट, कैलाश पुत्र काना जाट निवासी बहरावण्डा कलां जो आम रास्ते को रोका है उसे खुलासा करवाने की कृपा करें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत करते हुए जबाव प्रार्थना पत्र हेतु समय चाहा गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को कई वार अवसर दिये जाने पर भी जबाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं किये जाने के कारण जबाव प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। नियत बहस दिनांक 11.06.2024 को अप्रार्थीगण/उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. उक्त विवादित भूमि का तहसीलदार खण्डार से मौका रिपोर्ट प्राप्त किया गया, जो संलग्न है।
4. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान बताया गया है कि ग्राम बहरावण्डा कलां में बालेर रोड़ पर एक तरफ जीएसएस बना हुआ है। दूसरी तरफ कैलाश पुत्र रामनाथ का मकान है। दोनों मकानो के बीच में 12 फीट का आम रास्ता है। कैलाश के मकान व खेत बने हुए है। फिर आगे चलने पर कैलाश पुत्र काना का खेत है। उसके बाद हरिमोहन पुत्र काना प्रार्थी का खेत व मकान है। प्रार्थी को अपने खेत और मकान से आम रास्ते बहरावण्डा कलां वाले रोड पर जाने के लिए 12 फीट का रास्ता बना हुआ है। लेकिन कैलाश पुत्र रामनाथ, कैलाश पुत्र काना इस रास्ते में जोत लगा देते है। रास्ता बंद कर देते है। अतिक्रमण कर रास्ता जुतवा दिया है। इस रास्ते पर प्रार्थी व उसके परिवार के लोग लगभग 15–20 वर्ष से आ जा रहे है। उक्त रास्ता खुलासा नहीं होने से प्रार्थी कहीं आ जा नही पा रहा है उसके पास इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी के आना जाना बंद होने से भारी असुविधा हो रही है। अतः कैलाश पुत्र रामनाथ जाट, कैलाश पुत्र काना जाट निवासी बहरावण्डा कलां जो आम रास्ते को रोका है उसे खुलासा करवाने की कृपा करें।
5. वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत पेश किया, जिसको सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा आम रास्ते को रोके जाने का कथन करते हुए आम रास्ते का खुलासा करने का अनुतोष चाहा गया है। अतः मांगे गये अनुतोष से भी यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत ही प्रकरण दर्ज कराना चाहा है। उक्त धारा के तहत प्रकरण सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। इस न्यायालय को नये मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने की स्थिति में ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251क के तहत श्रवण अधिकार प्राप्त है। फलस्वरूप क्षेत्राधिकार के अभाव में प्रकरण खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.08.12 14:39:22 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

प्रार्थी का 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तक्मील दफ्तर दाखिल हों।
यह निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार(स.मा.)